

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) - 2, राज्य कर, रुड़की द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) - 2 राज्य, कर, रुड़की के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री सतेन्द्र कुमार तथा श्री कलवन्त सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं मो. सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 22.10.2020 से 07.11.2020 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मक: इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री गोवन्द सिंह एवं श्री अरविन्द कुमार उपाध्याय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 30.08.2019 से 07.09.2019 तक श्री राज कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी एवं व्यय हेतु माह -- से --- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक तथा व्यय हेतु माह --- से --- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: - कर-निर्धारण

(ii) (अ) राजस्व विवरण

विगत तीन वर्षों में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2017-18	2073.11
2018-19	1344.00
2019-20	3076.33

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:
(₹ लाख में)

वर्ष	Plan		Non plan		अधिक्य (+)	बचत (-)
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
शून्य						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
लागू नहीं					

(iii)इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई "A" श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव, वित्त > आयुक्त कर, वाणिज्य कर> ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर> डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर> सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर> वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)- 2, राज्य कर, रुड़की को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)- 2, राज्य कर, रुड़की की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन:-

राजस्व: ----- विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: ----- (व्यय) को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व का लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

प्रस्तर- 01 : कर का न्यूनारोपण ₹ 71.32 लाख एवं ब्याज ₹ 44.57 लाख।

प्रस्तर- 02 : पूँजीगत माल के विक्रय पर कर का अनारोपण ₹72.68 लाख।

प्रस्तर- 03 : आयातित माल की बिक्री न दिखाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ₹49.18 लाख।

प्रस्तर- 04 : कर का अनारोपण ₹ 2.17 लाख एवं अर्थदण्ड ₹ 9.73 लाख।

भाग-II (ब)

प्रस्तर- 01 : डेबिट/क्रेडिट नोट्स का अनुचित लाभ ₹ 19.12 लाख।

प्रस्तर- 02 : फॉर्म-सी का सत्यापन न कराया जाना।

प्रस्तर- 03 : कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 8.58 लाख।

प्रस्तर- 04 : अनुचित लाभ लिया जाना ₹0.82 लाख एवं अर्थदण्ड ₹7.29 लाख।

प्रस्तर- 05 : कर की वसूली लंबित रहना।

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

भाग 2 "अ"

प्रस्तर- 01 : कर का न्यूनारोपण ₹ 71.32 लाख एवं ब्याज ₹ 44.57 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची II(B) के क्रमांक: 78 के अनुसार Ores & Minerals excluding minor minerals पर कर की दर 5% है।

पुनः उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास विभाग के कार्यालय जाप संख्या 844/VII-1/2015/68-ख/2015 दिनांक 31-07-2015 के अनुसार "खान मंत्रालय भारत सरकार के अधिसूचना स. का. आ. 423(अ) दिनांक 10-02-2015 द्वारा silica sand को मिनेरल्स से हटाकर minor minerals की श्रेणी में कर दिया गया था। अतः उक्त की बिक्री पर अवर्गीकृत की भाति 13.5% एवं दिनांक 04.10.2016 से 14.5% की दर से कर आरोपणीय था।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.),-2, राज्य कर, रुड़की की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री इंटीग्रेटिड ग्लास मैटेरियल लि. रुड़की (TIN: 05009336469), कर निर्धारण वर्ष: 2016-17 का कर निर्धारण अधिनियम की धारा-25(7) व 9(2) के अंतर्गत किया गया था। व्यापार मिनेरल सिलिका सैंड की प्रोसेसिंग का है।

संगत वर्ष में व्यापारी की कर निर्धारण पत्रावली की जांच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा दिनांक 01-04-2016 से 03-10-2016 तक ₹26388463/- तथा दिनांक 04-10-2016 से 31-03-2017 तक ₹51466717/- की प्रोसेस्ड सिलिका सैंड की बिक्री 5%की दर से की गई थी जिस पर अंतरीय दर क्रमशः ₹8.5% एवं 9.5% की दर से क्रमशः ₹2243019/- एवं ₹4889338/- कुल ₹7132357/- कर और आरोपणीय था जिस पर लेखापरीक्षा तिथि तक ₹44,57,723/- (Nov 2020 तक) ब्याज भी आरोपणीय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि जांचोपरांत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "अ"

प्रस्तर- 02 : पूँजीगत माल के विक्रय पर कर का अनारोपण ₹72.68 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-3 की उपधारा-1 के अनुसार किसी व्योहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)- 2, राज्य कर, रूडकी की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जांच के दौरान व्योहारी सर्वश्री मार्टिन एण्ड हैरिस लबोरेट्रीज़ लि. (टिन: 05005625734) के कर निर्धारण वर्ष 2016-17 से संबन्धित आदेश एवं पत्रावली के अवलोकन में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा 383 फॉर्म-16 का प्रयोग कर ₹20,85,39,217/- मूल्य का माल आयात किया गया था।

उक्त की जाँच में पाया गया कि आयातित माल में ₹17861326/- का बिल्डिंग मैटीरियल, ₹1,23,23,928/- का मशीनरी/मशीनरी पार्ट्स व ₹2,15,41,903/- का टेस्टिंग/इंस्पेक्शन गुड्स एवं ₹50,000/- का फर्नीचर एवं फिक्सचर आयात किया जाना दर्शाया गया था। परन्तु, जाँच में पाया गया कि उक्त माल को व्योहारी द्वारा अपनी बैलेंस शीट में नहीं दर्शाया गया था जिससे स्पष्ट था कि उक्त माल का विक्रय किया गया था जिसपर निम्नवत कर आरोपणीय होगा:

वस्तु का नाम	मूल्य	बैलेंस शीट में addition	अन्तर	कर की दर (%)	कर की राशि (₹)
Building Materials	17861326	0	17861326	14.5	2589892
Machinery	12323928	1653911	10670017	14.5	1547152
Testing/inspection goods	21541903	0	21541903	14.5	3123576
Furniture/fixture	50000	0	50000	14.5	7250
Total					7267870

अतः उपरोक्तानुसार पूँजीगत माल के विक्रय पर ₹72,67,870/- कर आरोपणीय होगा जिसपर जमा कराये जाने की तिथि तक ब्याज भी देय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उपरोक्त माल को बैलेंस शीट में न दर्शाये जाने पर करारोपण की कार्यवाही के सम्बंध में अपने उत्तर में कहा गया कि पत्रावली की जांचोपरांत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त फॉर्म-16 से संबन्धित सूची भी उपलब्ध नहीं करायी गयी।

अतः पूँजीगत माल को बैलेंस शीट में न जोड़े जाने के परिणामस्वरूप उक्त की बिक्री पर कर के अनारोपण ₹72,67,870/- का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "अ"

प्रस्तर- 03 : आयातित माल की बिक्री न दिखाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ₹49.18 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम - 2005 की धारा 3(1) के अनुसार किसी व्यौहारी द्वारा राज्य के भीतर किये गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर आरोपित किया जायेगा। अधिनियम की धारा- 4(2)(ख)(i)(आ) के अनुसार अनुसूची II(ख) में विनिर्दिष्ट माल पर 5% एवं धारा 4(2)(ख)(i)(ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर 13.5% की दर से कर देय है।

कार्यालय में कर-निर्धारण वादों की जांच में पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री रिक्लाइनर्स इण्डिया प्रा. लि. (टिन: 05009728349) के वर्ष 2013-14 का कर निर्धारण अधिनियम की धारा-25 (7) व 9(2) के अन्तर्गत दिनांक 03.10.2019 को किया गया था।

कर निर्धारण आदेश के अवलोकन में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यौहारी द्वारा ₹3,64,30,454.99 की आयातित फैब्रिक लेदर की खरीद को कुर्सियों पर चढ़वाने हेतु क्रय किया गया था एवं जो कि फॉर्म-16 के विवरण से स्पष्ट था। परन्तु, उक्त आयातित खरीद को व्यौहारी द्वारा अपने ट्रेडिंग खाते में नहीं दर्शाया गया था। कर निर्धारण आदेश में उक्त माल को दूसरों का माल होने के कारण ट्रेडिंग खाते में न दर्शाने को मान्यता दी गयी थी।

संबन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उक्त माल की आयातित खरीद की गयी थी जिसका विवरण बिल सहित (फॉर्म-16 सूची) पत्रावली पर उपलब्ध था। परन्तु, अन्य व्यौहारियों द्वारा माल क्रय कर उपलब्ध कराने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था एवं न ही इकाई द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया जा सका। अतः ₹3,64,30,454.99 की आयातित फैब्रिक की खरीद को कुर्सियों पर चढ़वाने हेतु क्रय कर फर्नीचर की बिक्री किये जाने पर 13.5% प्रतिशत की दर से ₹4918111/- कर आरोपणीय था जो कि आरोपित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि जांचोपरांत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

अतः आयातित माल की बिक्री न दिखाये जाने के परिणामस्वरूप कर के अनारोपण ₹49,18,111/- के कारण राजस्व क्षति का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "अ"

प्रस्तर- 04 : कर का अनारोपण ₹2.17 लाख एवं अर्थदण्ड ₹9.73 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-3 की उपधारा-1 के अनुसार किसी व्योहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा।

उत्तराखण्ड शासन, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या: 102/XXXVI(3)/2015/22(1)/2015 दिनांक 31.03.2015 द्वारा अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (5) तथा उपधारा (7) का संशोधन करते हुये विद्यमान उपधारा-5 के खण्ड (क) में प्रयुक्त शब्द "4 प्रतिशत की दर से" के स्थान पर शब्द "5 प्रतिशत की दर से" एवं विद्यमान उपधारा (7) के खण्ड (क) तथा उसके परंतुक में प्रयुक्त शब्द "2 प्रतिशत की दर से" के स्थान पर शब्द "3 प्रतिशत की दर से" कर की दर में संशोधन किया गया था। अधिनियम की धारा 23(6) के अनुसार प्रत्येक व्योहारी जिससे इस अधिनियम के अधीन विवरणी दाखिल करने की अपेक्षा की गयी है, अपनी विवरणी के अनुसार देय कर तथा विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, को भी या प्रस्तुत की गयी संशोधित विवरणी के अनुसार देय भिन्नक कर की धनराशि का भुगतान, ऐसी किसी धनराशि, जो इस अधिनियम के अधीन देय कर की धनराशि से अधिक वसूल की गयी है, जमा करेंगे और विवरणी या जैसी भी स्थिति हो, संशोधित विवरणी के साथ ऐसी धनराशि के पूरे भुगतान को दर्शाती रसीद प्रस्तुत करेंगे। अधिनियम की धारा-58(XXIX) के अनुसार: if a dealer or other person issues or furnishes a false or a wrong form of declaration or certificate by reason of which a tax on sale or purchase ceases to be leviable under this Act or the rules made there under will be imposed a sum not exceeding forty percent of the value of goods involved or three times of tax leviable on such goods under any of provisions of this Act, whichever is higher.

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)- 2, राज्य कर, रुड़की के लेखाभिलेखों की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जांच में पाया गया कि:

(A) व्योहारी सर्वश्री नेक्टर लाइफ साइंसेस लि. रुड़की (टिन: 05007161535) के वर्ष 2016-17 का कर निर्धारण अधिनियम की धारा-25 के अन्तर्गत दिनांक 19.03.2020 को किया गया था। व्योहारी का व्यापार बल्क ड्रग्स के स्टॉक ट्रांसफर पर माल प्राप्त/खरीद कर बिक्री करने का है।

व्योहारी की संगत वर्ष की पत्रावली के अवलोकन पर पाया गया कि व्योहारी द्वारा दाखिल फॉर्म-11 की सूची तथा संलग्न फॉर्म-11 की धनराशि में निम्नवत भिन्नता थी:

Sl. No.	Form No.	Value before Tax (as per list) (₹)	Value before Tax (as per forms) (₹)	Difference (₹)
1	UKXI041713881286	17755312	18053437	298125
2	UKXI031713203755	2503125	5006250	2503125
3	UKXI051714129544	10817438	11107687	290249
4	UKXI071715940409	-	298125	298125
5	UKXI01718641413	-	2763561	2763561
	Total			6153185
6	UKXI091717834020	3004032	3004032	-
7	UKXI091717834020	-	3484969	3484969
	Grand Total			9638154

पत्रावली की जाँच में पाया गया कि फॉर्म-11 की प्रस्तुत सूची अनुसार ₹96,48,40,851/- एवं उक्तानुसार अन्तर धनराशि तथा अवशेष धनराशि ₹96,38,154/- के फॉर्म-11, इस प्रकार कुल ₹97,44,79,005/- धनराशि के value before tax के फॉर्म-11 संलग्न हैं। कर निर्धारण आदेश में ₹96,80,85,349/- की बिक्री पर 3% की दर से कर निर्धारण किया गया था।

परन्तु, जाँच में पाया गया कि उपरोक्त क्रम संख्या-6 व 7 पर अंकित फॉर्म-11 का फॉर्म संख्या एक ही थी परन्तु धनराशि भिन्न थी। इस सम्बंध में इकाई द्वारा कोई सत्यापन/आख्या उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। अतः उक्त दोनों फॉर्मों का लाभ व्यौहारी को अनुमन्य नहीं होगा एवं मिथ्या प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के परिणामस्वरूप दोनों फॉर्मों में निहित राशि ₹64,89,001/- (3004032+3484969) पर कर की दर 5% की दर से ₹3,24,450/- का तीन गुणा ₹9,73,350/- अर्थदण्ड अधिनियम की धारा 58(XXIX) के अनुसार आरोपणीय होगा।

चूँकि व्यौहारी द्वारा पूर्व में ₹96,80,85,349/- की बिक्री पर 3% की दर से ₹2,90,42,560/- कर निर्धारण किया गया था। अतः अंतरीय राशि ₹96,15,96,348/- (968085349 - 6489001) पर 3% की दर से ₹2,88,47,890/- एवं ₹64,89,001/- पर 5% की दर से ₹3,24,450/- (कुल ₹2,91,72,340/-) कर आरोपणीय होगा। इस प्रकार अंतरीय कर ₹1,29,780/- और आरोपणीय होगा एवं अर्थदण्ड ₹9,73,350/- पृथक से आरोपणीय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि व्यापारी की पत्रावली के जांचोपरांत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(B) व्यौहारी: मै इलेक्ट्रो मार्ट

टिन न.: 05017284746

वर्ष 2016-17

व्यौहारी के कर निर्धारण आदेश एवं संबन्धित पत्रावली के अवलोकन पर पाया गया कि व्यापारी द्वारा खरीद बिक्री के आंकड़ों के अनुसार बिक्री कम प्रदर्शित की गयी थी।

विवरण निम्नवत है:

क्रम संख्या	वर्ष	फ़र्म का नाम	वस्तु का नाम	प्रारम्भिक स्टॉक	खरीद	योग	बिक्री	अन्तिम स्टॉक	कम प्रदर्शित बिक्री
1	2016-17	एलक्ट्रोमार्ट (05017284746)	-	शून्य	51457926	51457926	42692904	8444745	320277

उक्त कम प्रदर्शित बिक्री में से 5% दर की वस्तु ₹1,46,994/- की है एवं 14.5% दर वाली वस्तु ₹1,73,283/- की है जिस पर कर निम्नानुसार देय है।

	कम प्रदर्शित बिक्री	कर की दर	कर की धनराशि
मोबाइल फोन	146994	5%	7350
टी वी वासिंग मशीन	173283	14.5%	25126
	320277		32476

अतः उपरोक्तानुसार ₹3,20,277/- की कम बिक्री प्रदर्शित की गई थी। इस प्रकार कम प्रदर्शित बिक्री पर ₹32,476/- कर आरोपणीय था, इस के अतिरिक्त नियमानुसार अर्थदंड भी आरोपणीय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में ₹18,59,207/- का discount और commission प्राप्त किया गया है जो व्यापारी के audited balance sheet में प्रमाणित है। व्यापारी द्वारा प्राप्त यह छूट ग्राहकों को दिया गया है जो कि unjust enrichment के प्रावधानों के अनुरूप है।

इकाई का उत्तरा मान्य नहीं है क्योंकि ग्राहकों को दिये गए discount से संबन्धित कोई साक्ष्य लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए।

(C) व्यापारी: सर्वश्री भारत ट्रेडिंग कम्पनी रुड़की

टिन 05006731437

कर निर्धारण वर्ष 2016-17

आदेश-धारा 25 (7) के अन्तर्गत पारित।

As per Para 53 of section-2 of Uttarakhand VAT Act 2005, value of goods means the value as ascertained from the purchase invoice (s) bill (s) and includes insurance charges, excise duties, countervailing duties sales tax, transport charges, freight charges and all other charges incidental to the transaction of the goods.

व्यापारी का व्यापार व्हाइट वॉशिंग मैटीरियल, पुट्टी, सीमेंट आदि के खरीद बिक्री का है। संगत वर्ष के कर निर्धारण की जाँच करने पर पाया गया की संगत वर्ष में कुल ₹3,30,47,898/- का माल क्रय किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण करते समय फ्रेड इनवर्ड/इन्शुरेंस धनराशि ₹5,75,997/- (5,23,905+52,092) को कुल क्रय से घटाकर कर निर्धारण किया गया था। यदि उक्त धनराशि को कुल क्रय में जोड़ दिया जाए तो ₹3,36,23,895/- (3,30,47,898+5,75,997) की वर्ष 2016-17 में खरीद की गयी थी। विवरण निम्नवत है:

Opening stock	Purchase As per Assmt	Purchase +		Total	Sales	Closing stock	Difference
		Freight inward	Ins.				
4295800	33047898	523905	52092	37919695	31806999	5703934	408762

यदि व्यापार लाभांश रहित भी मान लिया जाय तब भी ₹4,08,762/- की कम बिक्री दिखाई गयी इस प्रकार कम प्रदर्शित बिक्री ₹ 408762/- को बिक्री मानकर 13.5% की दर से ₹55,183/- कर आरोपणीय था। इसके अतिरिक्त नियमानुसार अर्थदंड भी पृथक से आरोपित किया जायेगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि जाँचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

अतः कर के अनारोपण ₹2,17,439/- (₹1,29,780+32,476+55,183) एवं अर्थदण्ड ₹9,73,350/- का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर- 01 : डेबिट/क्रेडिट नोट्स का अनुचित लाभ ₹ 19.12 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम - 2005 की धारा 3(1) के अनुसार किसी व्यौहारी द्वारा राज्य के भीतर किये गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर आरोपित किया जायेगा। अधिनियम की धारा- 4(2)(ख)(i)(आ) के अनुसार अनुसूची II(ख) में विनिर्दिष्ट माल पर 5% एवं धारा 4(2)(ख)(i)(ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर 13.5% की दर से कर देय है। अधिनियम की धारा 6(15)(ग) के अनुसार क्रेता द्वारा माल वापिस करने अथवा अस्वीकृत करने के मामले में, विक्रेता व्यौहारी द्वारा क्रेता को इस आशय का एक जमा-पत्र (credit note) जारी किया जायेगा और क्रेता द्वारा विक्रेता व्यौहारी को एक नाम-पत्र (debit note) जारी किया जायेगा।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)- 2, राज्य कर, रुड़की के लेखाभिलेखों की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जांच में पाया गया कि:

(A) व्यौहारी सर्वश्री दलास बायोटेक लि. (TIN: 05012150536), कर निर्धारण वर्ष: 2015-16 का कर निर्धारण अधिनियम की धारा-25(7) सपठित धारा-31 के अंतर्गत किया गया था। व्यापार दवाइयों की स्टॉक ट्रांसफर द्वारा प्राप्त एवं खरीद/बिक्री का है।

व्यापारी की कर-निर्धारण पत्रावली एवं कर निर्धारण आदेश की जाँच में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यौहारी द्वारा ₹42,18,750 की खरीद वापसी की गयी थी जिसके समर्थन में फॉर्म-एफ की दो प्रतियाँ उक्त राशि हेतु दाखिल की गयी हैं। फॉर्म-एफ की प्रतियों से स्पष्ट था कि ₹15,18,750/- के माल का दिनांक 24-12-2015 को एवं ₹27,00,000 के माल का दिनांक 20.03.16 को स्टॉक ट्रांसफर के माध्यम से खरीद वापसी दिखाई गयी थी। परन्तु, खरीद वापसी हेतु क्रेडिट नोट्स व्यौहारी द्वारा दाखिल नहीं किए गए थे।

आगे, जाँच में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा ₹27,00,000 एवं ₹15,18,750/- की बिक्री वापसी को भी मान्यता दी गयी थी। पत्रावली की जाँच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा माह 03/2016 में उक्त राशि की बिक्री वापसी दर्शाई गयी थी परन्तु, बिक्री वापसी के समर्थन में डेबिट नोट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि व्यापारी की पत्रावली के जांचोपरांत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

अतः व्यौहारी द्वारा नियमानुसार डेबिट नोट्स न प्रस्तुत न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹42,18,750 की बिक्री पर 5% की दर से ₹2,10,938/- कर आरोपणीय होगा।

(B) व्यापारी का नाम : सर्व श्री पर्ल प्रोडक्ट इंडिया (टिन : 05006594764) के कर निर्धारण वर्ष 2016-17 के अवलोकन में पाया गया कि व्यापारी के द्वारा संगत वर्ष में खरीद पर ₹10,84,221/- का डिस्काउंट तथा बिक्री में ₹50,94,085/- का रेट डिफरेंस को घटाया गया था। राज्य कर्नाटक बनाम kitchen appliances india ltd. के वाद में यह स्पष्ट किया गया है कि डिस्काउंट बिक्री के पश्चात आफ़र नहीं किया जा सकता है डिस्काउंट केवल बिक्री के समय ही दिया जा सकता है बिक्री के पश्चात डिस्काउंट को कनसीडर नहीं किया जा सकता है। अतः सर्व श्री पर्ल प्रोडक्ट इंडिया को खरीद में ₹10,84,221 का जो डिस्काउंट दर्शाया गया था वह मान्य नहीं था।

आगे, व्यौहारी द्वारा बिक्री में ₹50,94,085/- के रेट डिफरेंस से संबन्धित जांच में पाया गया कि फ़र्म Cauvery aqua pvt. Ltd. के द्वारा डेबिट नोट सर्व श्री पर्ल प्रोडक्ट इंडिया को निर्गत किया जाना चाहिए था जबकि Cauvery aqua pvt. Ltd. के द्वारा स्वयं को ही क्रेडिट नोट निर्गत किया गया था जोकि अमान्य है।

इस प्रकार ₹10,84,221/- और ₹ 5094085 कुल ₹61,78,306/- को बिक्री मानते हुए @5% की दर से ₹3,08,915/- का कर आरोपणीय था जो कि आरोपित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि व्यापारी की पत्रावली के जांचोपरांत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(C) व्यौहारी सर्वश्री यूनाइटेड इलैक्ट्रिकल एंड ट्रांसफार्मर, आज़ाद नगर, रुड़की (TIN: 05004186836), कर निर्धारण वर्ष: 2016-17 का कर निर्धारण अधिनियम की धारा-25(7) के अंतर्गत किया गया था। व्यापार इलैक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर आदि के निर्माण/बिक्री का है।

व्यापारी की कर-निर्धारण पत्रावली एवं कर निर्धारण आदेश की जाँच में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा 248 फॉर्म-16 से कुल ₹9,40,96,627/- का माल आयात किया गया था जिसमें से ₹2,57,584/- की खरीद वापसी को दर्शाया गया है। अतः शुद्ध ₹93,839,043/- का माल आयात करना दर्शाया गया था। परन्तु, खरीद वापसी हेतु क्रेडिट नोट्स व्यौहारी द्वारा दाखिल नहीं किये गये थे।

आगे, जाँच में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा ₹9,38,39,043/- का माल फॉर्म-16 से आयात किया गया था। परन्तु, फार्म-16 की सूची पत्रावली में उपलब्ध नहीं थी।

इस प्रकार ₹2,57,584/- को बिक्री मानते हुए 14.5% की दर से ₹37,350/- का कर आरोपणीय था जो कि आरोपित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त फार्म-16 की सूची भी उपलब्ध नहीं करायी गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि व्यापारी की पत्रावली के जांचोपरांत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(D) व्यौहारी सर्वश्री रिक्लाइन्स इण्डिया प्रा. लि. (टिन: 05009728349) के वर्ष 2013-14 का कर निर्धारण अधिनियम की धारा-25 (7) व 9(2) के अन्तर्गत दिनांक 03.10.2019 को किया गया था। व्यापार लेदर फेब्रिक की कुर्सियों व सोफा का निर्माण बिक्री का है।

कर निर्धारण आदेश के अवलोकन में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यौहारी द्वारा ₹24,68,458.47/- का रिजेक्ट माल भी दर्शाते हुये इसे अपने टर्नओवर में नहीं दिखाया गया था। परन्तु, पत्रावली की जाँच में पाया गया कि रिजेक्ट माल के सम्बंध में व्यौहारी द्वारा डेबिट/क्रेडिट नोट दाखिल नहीं किये थे। अतः उक्त के अभाव में ₹24,68,458.47/- पर 13.5% की दर से ₹3,33,242/- कर आरोपणीय था जो कि आरोपित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि जांचोपरांत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(E) व्यौहारी सर्वश्री एआईएस ग्लास सोल्युशन लि. (TIN: 05007380561), कर निर्धारण वर्ष: 2016-17 का कर निर्धारण अधिनियम की धारा-25(7) व 9(2) के अंतर्गत किया गया था। व्यापार आर्किटेक्चर ग्लास के निर्माण एवं बिक्री का है।

व्यापारी की कर-निर्धारण पत्रावली एवं कर निर्धारण आदेश की जाँच में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यौहारी द्वारा ₹70,46,635/- की बिक्री वापसी को व्यौहारी द्वारा प्रस्तुत क्रेडिट नोट के आधार पर ही मान्यता दी गयी थी जबकि बिक्री वापसी के समर्थन में क्रेता व्यौहारी द्वारा जारी डेबिट-नोट्स आवश्यक थे।

अतः डेबिट नोट्स के आभाव में ₹70,46,635/- पर 14.5% की दर से ₹10,21,762/- कर आरोपणीय था जो कि आरोपित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि जांचोपरांत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

अतः डेबिट/क्रेडिट नोट्स का ₹19,12,207/- के अनुचित लाभ का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर- 02 : फॉर्म-सी का सत्यापन न कराया जाना।

केन्द्रीय विक्रय अधिनियम, 1956 की धारा-8 (1) के अनुसार: every dealer, who in the course of inter-state trade or commerce, sells to a registered dealer goods of description referred to in sub-section (3), shall be liable to pay tax under this Act, which shall be two percent of his turnover or at the rate applicable to the sale or purchase of such goods inside the appropriate state under the sales tax law of the State, whichever is lower. Further as per sub-section (4): the provisions of sub-section (1) shall not apply to any sale in the course of inter-state trade or commerce unless the dealer selling the goods furnishes to the prescribed authority in the prescribed manner a declaration duly filled and signed by the registered dealer to whom the goods are sold. Rule-12(1) of The CST (R&T) Rules, 1957 states that the declaration and the certificate referred to in sub-section (4) of section-8 shall be in Form 'C'.

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)- 2, राज्य कर, रुड़की के लेखाभिलेखों की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जांच के दौरान निम्न व्यौहारियों द्वारा प्रस्तुत फॉर्म-सी जाँच हेतु चयनित किए गए तथा कार्यालय से सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु कहा गया।

<u>Name of Dealer & TIN</u>	<u>Year</u>	<u>Form-C no.</u>	<u>Value</u>	<u>Issuing dealer/TIN and State</u>
M/s ZAK Hardware Pvt. Ltd. (05007250387)	2014-15	14P448278	5477554	Jai Muni Trading Co. (07390473278), Delhi
		14P448279	6283452	AS ABOVE
M/s Jesons Industries Ltd. (05007433620)	2015-16	PB AA/C 9361085	1025216	ASIAN CHEMICALS (03461073978) Punjab
	2015-16	HR/06C 6865848	506540	San Automotive Industries, HARYANA
	2015-16	PB AA/C 9442681	3588757	WINDSOR INDUSTRIES PVT.LTD.(03061095732) PUNJAB
	2015-16	PB AA/C 9943301	1806024	SAPRA DYES & CHEMICALS (3541018838) PUNJAB
	2015-16	PB AA/C 9767722	8601913	Pack well poly products (03972048402) Punjab
	2015-16	PB AA/C 9442683	3170475	WINDSOR INSTITUTE PVT.LTD.(03061095732) PUNJAB
	2015-16	PB AA/C 9767723	1082278 4	Pack well poly products (03972048402) Punjab
	2015-16	HR/013C 1222413	1204788	R.P. Coatings Pvt. Ltd. (06921926645) Haryana

लेखापरीक्षा में उपरोक्त फॉर्म से संबंधित सत्यापन रीपोर्ट्स के सम्बंध में इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि आवश्यक कार्यवाही सत्यापनोपरान्त/जाँचोपरान्त की जायेगी।

अतः उक्त फॉर्म के सापेक्ष देय लाभ पर आवश्यक कार्यवाही फॉर्म के सत्यापन तक अपेक्षित रहेगी।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान हेतु अग्रेषित किया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर- 03 : कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 8.58 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियमावली- 2005 के नियम-11 के अनुसार कोई व्यापारी जिसका पूर्ववर्ती वर्ष में सकल आवर्त ₹50 लाख से अधिक है, उसे उत्तरवर्ती माह की 20 तारीख (25 तारीख, 26.03.2014 से पूर्व) तक देय कर का भुगतान ई-पेमेंट द्वारा करना है एवं जिसका सकल आवर्त ₹50 लाख तक है, उसे अगले त्रैमास के उत्तरवर्ती माह की 20 तारीख (25 तारीख, 26.03.2014 से पूर्व) तक देय कर का भुगतान करना है।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-58(1)(vii) के अन्तर्गत यदि किसी व्योहारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर राजकोष में जमा नहीं किया गया है तो वह न्यूनतम 10% की दर से अर्थदण्ड का दायी होगा।

- (i) यदि विलम्ब 01 माह तक हो तो देय कर का 5% का दायी होगा (31.03.2015 से)।
- (ii) यदि विलम्ब 01 माह से अधिक हो तथा देय कर ₹20 हजार तक हो तो वह देय कर का कम से कम 10 प्रतिशत एवं अधिक से अधिक 20 प्रतिशत और यदि विलम्ब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर ₹20 हजार से अधिक हो तो वह देय कर का कम से कम 20 प्रतिशत एवं अधिक से अधिक 30 प्रतिशत का दायी होगा।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.), खण्ड- 2, राज्य कर, रुड़की की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में पाया गया कि निम्न व्योहारियों द्वारा अपना स्वीकृत कर विलम्ब से जमा कराया था, जिस पर नियमानुसार अर्थदण्ड आरोपणीय था:

व्यापारी का नाम/टिन सं.	अवधि		कर जमा करने की वास्तविक तिथि	जमा तिथि	विलम्ब		कर की राशि (₹)	अर्थदण्ड %	अर्थदण्ड (₹)
	From	To			माह	दिन			
M/s Recliners India (05009728349)	04/13	04/13	25.05.13	07.06.13		13	993423	10	99342
	06/13	06/13	25.07.13	22.08.13		28	548750	10	54875
	07/13	07/13	25.08.13	06.09.13		12	428435	10	42844
	08/13	08/13	25.09.13	07.10.13		12	272350	10	27235
	09/13	09/13	25.10.13	28.10.13		3	778720	10	77872
	10/13	10/13	25.11.13	07.12.13		12	578191	10	57819
	11/13	11/13	25.12.13	15.01.14		21	717045	10	71705
	03/14	03/14	25.02.14	21.04.14	1	27	353490	10	35349
Dashmesh Traders(2016-17)(05003957237)	04/16	04/16	20.05.16	30.05.16		10	137312	5	6866
	07/16	07/16	20.08.16	30.08.16		10	80561	5	4028
	08/16	08/16	20.09.16	30.09.16		10	91563	5	4578
	09/16	09/16	20.10.16	29.10.16		9	129116	5	6455
	10/16	10/16	20.11.16	07.12.16		17	137200	5	6860
	11/16	11/16	20.12.16	05.01.17		16	75500	5	3775
	12/16	12/16	20.01.17	31.01.17		11	77596	5	3880
	01/17	01/17	20.02.17	07.03.17		15	60560	5	3028
	02/17	02/17	20.03.17	03.04.17		14	86000	5	4300
	03/17	03/17	20.04.17	29.04.17		9	52371	5	2619
M/s Amarnath Trading company (05015390627)	05/16	05/16	20.06.16	24.06.16		4	50483	5	2524
	06/16	06/16	20.07.16	25.07.16		5	7504	5	375
	10/16	10/16	20.11.16	30.11.16		10	28240	5	1412
	01/17	01/17	20.02.17	06.03.17		14	55000	5	2750
	02/17	02/17	20.03.17	27.03.17		7	65934	5	3296
	03/17	03/17	20.04.17	08.05.17		18	92500	5	4625
Martin & Hairis Pvt. Ltd. (05000917160)	04/16	06/16	20.06.16	18.07.16		28	27076	5	1353
	04/16	06/16	20.07.16	19.08.16		30	886320	5	44316
	04/16	06/16	20.07.16	19.09.16	2		32021	20	6404
	04/16	06/16	20.07.16	18.11.16	3	29	27395	20	5479
	07/16	09/16	20.08.16	20.09.16	1	0	709056	5	35452
	07/16	09/16	20.09.16	19.10.16	1		39248	5	1962
	01/17	03/17	20.03.17	19.04.17	1		24341	5	1217

MTT Printers (05015763592)	04/16	06/16	20.07.16	22.08.16	1	2	102275	20	20455
	10/16	12/16	20.01.16	23.02.17	1	3	176456	20	35291
Tax Zippers (05001003005)	04/14	04/14	20.05.14	21.05.14		1	156647	10	15665
	05/14	05/14	20.06.14	23.06.14		3	170185	10	17019
	08/14	08/14	20.09.14	22.09.14		2	199075	10	19908
	10/14	10/14	20.11.14	25.11.14		5	191896	10	19190
	12/14	12/14	20.01.15	28.01.15		8	77297	10	7730
	12/14	12/14	20.01.15	28.01.15		8	56610	10	5661
	01/15	01/15	20.02.15	21.02.15		1	153800	10	15380
	03/15	03/15	20.04.15	23.04.15		3	349073	10	34907
	01/15	03/15	20.04.15	03.06.19	4 years 1 month	13	420650	10	42065
Total									8,57,866

अतः उपरोक्तानुसार विलम्ब से कर जमा करने पर ₹8,57,866/- का अर्थदण्ड आरोपणीय था जो कि अधिरोपित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि जाँचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही कर आख्या प्रेषित की जायेगी।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- 2(ब)

प्रस्तर- 04 : अनुचित लाभ लिया जाना ₹0.82 लाख एवं अर्थदण्ड ₹7.29 लाख।

उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58(XII) के अनुसार यदि कोई व्योहरी इस अधिनियम के अधीन देय कर के जमा करने का मिथ्या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो वह पाँच हजार रुपये या दावाकृत धनराशि की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो, का अर्थदण्ड के रूप में दाई होगा। धारा 58(IV) के अनुसार यदि व्योहरी युक्तियुक्त कारण के बिना अपने आवर्त की विवरणी प्रस्तुत नहीं करता है तो अर्थदण्ड के रूप में देयकर का कम से कम दस प्रतिशत देय होगा।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)- 2, राज्य कर, रुड़की के लेखाभिलेखों की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जांच के दौरान व्योहारी सर्वश्री मार्टिन एण्ड हैरिस प्रा. लि. (टिन: 05000917160) के कर निर्धारण वर्ष 2016-17 से संबन्धित आदेश एवं पत्रावली के अवलोकन में पाया गया कि संगत वर्ष में व्योहारी को चालानों से जमा धनराशि **₹42,12,,930/-** का लाभ दिया गया था। परंतु व्यापारी द्वारा दाखिल वार्षिक विवरणी एवं जमा चालानों के अवलोकन में **₹41,30,544/-** की राशि ही कर के रूप में जमा पाई गई। इस प्रकार व्यापारी द्वारा **₹82,386/-** का अनुचित लाभ लिया गया था जो कि मय ब्याज वसूलनीय था एवं जिस पर नियमानुसार **₹2,47,158/-** अर्थदण्ड पृथक से आरोपणीय होगा।

आगे जांच में यह भी पाया गया कि व्योहारी का पूर्ववर्ती वर्ष में सकल आवर्त **₹50** लाख से अधिक था जिसके कारण व्यापारी को नियमानुसार अपना स्वीकृत कर मासिक रूप से जमा कराया जाना था जबकि व्यापारी द्वारा कर त्रैमासिक जमा कराया गया था। अतः विहित रीति से कर जमा न कराये जाने के परिणाम स्वरूप कर की राशि **₹48,15,939/-** का दस प्रतिशत **₹4,81,594/-** अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि पत्रावली के जांचोपरांत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- 2(ब)**प्रस्तर- 05 : कर की वसूली लंबित रहना।**

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)- 2, राज्य कर, रुड़की द्वारा राजस्व बकाया से संबन्धित सूचना के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक कुल रु 96200.76 लाख बकाया थे। जिसका विस्तृत विवरण निम्नावत है:

(रु लाख में)

वर्ष	राजस्व बकाया	वर्ष के दौरान राजस्व वसूली	राजस्व बकाया की अंतिम रहतिया
2017-18	30341.78	47.54	30294.24
2018-19	37881.44	168.76	37712.68
2019-20	28239.5	45.66	28193.84
Total			96200.76

राजस्व वसूली के लंबित रहने के संबंध में पूछे जाने पर इकाई के द्वारा बताया गया कि व्यापारियों से वसूली हेतु भू राजस्व के तहत RC जारी है वसूली हेतु प्रशासन से लगातार बैठकों/Follow-up किया जा रहा है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राजस्व बकाया के सापेक्ष वसूली बहुत कम की गयी थी।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT-36/2004-05	01,02	01,02,03	-	-
CT-39/2005-06	01	-	-	-
CT-09/2006-07	01,02	-	-	-
CT-13/2008-09	02	01	-	-
CT-18/2011-12	-	01,04	-	-
CT-44/2014-15	01	01	01,02	-
CT-17/2015-16	01,02	01,02	-	-
CT-36/2016-17	01,02	01,02,03	-	-
CT-16/2017-18	01	01,02	01	-
CT-107/2018-19	01	01	-	-
CT-63/2019-20	01	01	-	-

भाग-IV**इकाई के सर्वोत्तम कार्य**

- (1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य
- (2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) - 2 राज्य कर, रुड़की तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत् अनियमितताएः
टिप्पणी- शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	श्री तारकेश्वर मिश्रा,	उपायुक्त

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV